

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०न०-8-09

क्रमांक- 60/2017

आरबीई सं०-26/2017

सं० ई/254/2/भाग-22/चार

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 06-04-2017

महाप्रबन्धक
उपस्थित
क. प्रमित
सचिव

विषय:-मुपसी से मुपबी पदों में पदोन्नति के लिए 70% चयन/30%
एलडीसीई रूप में लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाने वाले एवं प्रश्न पत्रों
का मूल्यांकन करने हेतु कार्मिक अधिकारियों के लिए समेकित निर्देश।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(जीपी) 2015/2/8 दिनांक 22.03.2017 की शगुजी
प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की गयी रही
है।

संलग्नक/यथोपरि

06.04.17
(ए० के० सी।)

उपमुकाधि/अ.ज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब. एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 5- मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

60/2017

CPO

27 MAR 2017

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No: 26/2017

No. E(GP)2015/2/8

New Delhi, dt: 22/03/2017

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units.

(Kind attn.: CPOs)

Sub: Consolidated Guidelines for Personnel Officers, Paper Setters & Evaluators of Question Papers of written examinations held as part of 70% Selection/30% LDCE for Promotion from Group 'C' to Group 'B' posts

The following para may please be added below Para 3 (ii) of this office letter no.E(GP)2015/2/8 dated 28/11/2016 (RBE No.142 / 2016) on the above subject,

"3(ii)(a): The sheet carrying important instructions for candidates, attached with the answer-sheets, shall be removed after the examination is over and kept separately in a cover. However, before the sheet is removed, it should be ensured that the same is duly signed by both the invigilator as well as the candidate."

2. Please acknowledge receipt. Hindi version shall follow separately.

(LILY PANDEYA)
DIRECTOR, ESTT.(GC)
RAILWAY BOARD